


वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.302.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी युद्ध विधवा द्वारा मकान/प्लैट के सन्निर्माण या क्रय या विद्यमान मकान/प्लैट में परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए उधार प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-238]

राज्यपाल के आदेश से,


मनोष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.302.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fee chargeable on the mortgage deed executed in favour of Financial Institution, Bank or Cooperative Society by a war widow for obtaining loan for construction or purchase of house/flat or for making addition/alteration in an existing house/flat, shall be remitted on submission of the certificate of identity issued by Director, Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-238]

By order of the Governor,



(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government